

**वर्ष 2017-2022 हेतु संसाधक अनुज्ञापत्र  
का निर्गमन (प्रपत्र - बी1)  
ISSUE OF PROCESSORS'  
LICENCE (FORM-B1) FOR 2017-2022  
अनुदेश एवं मार्गदर्शन  
INSTRUCTIONS & GUIDELINES**

**1. आवेदन प्रपत्र Application form :** प्रपत्र बी-1 में आवेदन पूर्ण रूप से भरा जाए तथा विधिवत् हस्ताक्षर किया जाए। अपूर्ण एवं गलत आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। The application in Form B-1 may be completely filled in and duly signed. Incomplete and incorrect application is liable to be rejected.

**2. अनुज्ञापत्र शुल्क Licence fee:** पाँच वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञापत्र के निर्गमन के लिए आवेदन के साथ 15% की दर पर ₹190/- सेवा कर मिलाकर 1440/-रु. (एक हजार चार सौ चालीस रुपये मात्र) अनुज्ञापत्र शुल्क के रूप में प्रेषित किया जाना है (प्रतिवर्ष ₹288/- की दर पर)। Licence fee of ₹1440/- (Rupees one thousand four hundred and forty only) including service tax of Rs.190 @ 15% may be remitted along with the application for issue of licence for five years. (@ Rs.288/- per annum)

**3. शाखा/खरीद डिपो/एकत्रण केन्द्र का पंजीकरण/ Registration of Branch/Purchase Depot/Collection Centre:** शाखा/खरीद डिपो/एकत्रण केन्द्र का अप्राधिकृत रूप से कार्य करना अनुमय नहीं है। अगर आप अपनी शाखा/खरीद डिपो/एकत्रण केन्द्र का पंजीकरण पाँच वर्ष तक की अवधि हेतु करना चाहते हैं तो प्रति शाखा/खरीद डिपो/एकत्रण केन्द्र 15% की दर पर ₹150/- सेवा कर मिलाकर ₹1150/- की दर पर प्रोसेसिंग प्रभार का भी जमा करना चाहिए। (प्रतिशाखा ₹230/- की दर पर)। Unauthorised functioning of branch/purchase depot/collection centre is not permitted. If you wish to register your branch/purchase depot/collection centre for five-year period you may remit the processing fee of ₹1150/- (including service tax of ₹150/- @ 15%) per branch/purchase depot/collection centre (@ ₹230/- per branch).

**4. अनुज्ञापत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग प्रभार जमा करने का तरीका Mode of Remittance of Licence Fee/ processing charges:** उपर्युक्त तरह से अनुज्ञापत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग प्रभार मणी ऑर्डर या उप निदेशक (अनुज्ञापन), रबड़ बोर्ड के नाम कोट्टयम में देय रेखित डिमांड ड्राफ्ट/सममूल्य पर (एट पार) चैक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। बाहरी स्टेशनों के चैक या डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। रबड़ बोर्ड वेब साइट [www.rbegp.org.in](http://www.rbegp.org.in) के लिंक द्वारा ऑनलाइन भुगतान या सभी कार्य दिनों पर इस कार्यालय में (रबड़ बोर्ड, मुख्यालय, कोट्टयम, केरल – 686 002) पूर्वा: 9.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक नकद जमा द्वारा रकम का प्रेषण किया जा सकता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रबड़ बोर्ड, कोट्टयम (आईएफएससी कोड-CBIN0284150) के रबड़ बोर्ड के अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क खाता सं.3173717326 में नेफ्ट द्वारा भी रकम जमा की जा सकती है। The licence fee and processing charges as above may be remitted by a crossed demand draft/at par cheque drawn in favour of the Deputy Director (Licensing), Rubber Board payable at Kottayam. Out station cheques and demand drafts shall not be accepted. Remittance can be made online payment through the link of Rubber Board website [www.rbegp.org.in](http://www.rbegp.org.in) or payment by cash at this

office (Rubber Board, Head office, Kottayam – 686 002, Kerala) between 9.00 AM and 3.00 PM on all working days. Amount can also be remitted in Rubber Board's Licensing & Excise Duty Account No.3173717326 with Central Bank of India, Kottayam (IFSC Code – CBIN0284150) through NEFT.

**5. मासिक विवरणियों की प्रस्तुति Submission of monthly returns:** समय पर प्रपत्र एच 3 एवं एल 1 में बोर्ड को मासिक विवरणियों की गैर प्रस्तुति रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 20 (क) के साथ पठित रबड़ नियम 1955 के नियम 43(4) व नियम 43क का उल्लंघन है। अगर आपने किसी अवधि की अपेक्षित मासिक विवरणियाँ सचिव, रबड़ बोर्ड, कोट्टयम-2 को प्रस्तुत नहीं की हैं तो उन्हें तुरंत भेज दें। इसके साथ संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ मासिक विवरणियों की अद्यतन प्रस्तुति के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। Non-submission of monthly returns in time and in forms H3 & L1 to the Board is a violation of Rule 43(4) and Rule 43 A of the Rubber Rules, 1955 read with Section 20 (a) of the Rubber Act, 1947. In case you have not submitted the requisite monthly returns to the Secretary, Rubber Board, Kottayam-2 for any period, the same may be sent to him immediately. **A declaration regarding the submission of upto date returns may also be furnished along with the application for licence in the prescribed form attached herewith.**

**6.** कृपया भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार रबड़ के श्रेणीकरण और विपणन के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करें। Please also furnish a **declaration** with regard to grading and marketing of rubber as prescribed by the Bureau of Indian Standards.

**7.** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वैध सहमति पत्र की एक प्रतिलिपि तथा स्थानीय निकाय द्वारा जारी लाइसेंस की एक प्रतिलिपि भी संलग्न करें। Also attach a copy each of Valid Consent letter issued by the **Pollution Control Board** and a licence issued by the **local authority**.

**8.** आपके कार्यालय/फैक्टरी के और आपके आवास के टेलिफोन तथा फैक्स नंबर एवं ई मेल पता हमारे रिकॉर्ड के लिए नवीकरण आवेदन के अग्रेशन पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

Please furnish the **telephone and fax numbers** of your office/factory and that of your residence and **e-mail** for our records in the forwarding letter of your renewal application.

भरा गया आवेदन, अनुज्ञापत्र शुल्क, प्रोसेसिंग प्रभार, विवरणियों की प्रस्तुति एवं रबड़ के श्रेणीकरण और विपणन आदि पर घोषणा रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे या व्यक्तिगत रूप से पहुँचाएं ताकि **उप निदेशक (अनुज्ञापन), रबड़ बोर्ड, अनुज्ञापन प्रभाग, मुख्यालय, कोट्टयम - 686002** को दिनांक **30 नवंबर 2016** या उससे पूर्व प्राप्त हो जाएं।

The filled in application, licence fee/processing charges, declaration regarding submission of returns and grading and marketing of rubber etc., may be sent by registered post or delivered in person so as to reach the **Deputy Director (Licensing), Rubber Board, Licensing Division, Head Office, Kottayam - 686002** on or before **30<sup>th</sup> November 2016**.

रबड़ बेचने या अन्य तरह से निपटाने तथा खरीदने या अन्य तरह से अर्जित करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को रबड़ बोर्ड द्वारा जारी वैध लाइसेंस रखना चाहिए; अन्यथा वे रबड़ अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होंगे। अतः वर्तमान लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व अपना लाइसेंस निर्गमित करना कृपया सुनिश्चित करें। आवेदन का देरी से प्रस्तुत करना या अपूर्ण आवेदन लाइसेंस जारी करना विलंबित करेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार से बोर्ड जिम्मेदार नहीं रहेगा। बोर्ड द्वारा मांगी गयी सभी औपचारिकताएं पूरा करने पर एक संभावित तिथि पर ही लाइसेंस निर्गमित किया जाएगा।

Every person who wants to acquire rubber for processing and for selling rubber so acquired should possess a valid licence issued by the Rubber Board; otherwise he shall be punishable with imprisonment or with fine or with both as per the provisions of Rubber Act 1947. So please ensure that your licence is issued before expiry of validity period of the present licence. Belated filing of application or incomplete application is likely to delay the issue of licence, for which the Board will in no way be held responsible. The licence will be issued only on prospective date after satisfying all formalities as demanded by the Board.

## फार्म बी 1 FORM B 1

(नियम 39 क देखिए See Rule 39 A)

### रबड़ बोर्ड THE RUBBER BOARD

प्रसंस्करण के लिए रबड़ अर्जित करने एवं अर्जित रबड़ बेचने हेतु विशेष अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन।

Application for Special Licence to acquire rubber for processing and for selling rubber acquired.

1. आवेदक का नाम व पूरा पता Name and full address of the applicant.
2. आवेदक का पद; क्या व्यक्ति; भागीदारी; प्राइवट लिमिटेड कंपनी; प्राथमिक विपणन सहकारी संघ या अपेक्स सहकारी संघ  
Status of the applicant; whether Individual, Partnership, Private Limited Company, Public Limited Company, Primary Marketing Co-operative Society or ApexCo-operative Society?
3. यथास्थिति मालिक/मालिकिन, साझेदारों या निदेशकों के पूरा नाम, उम्र एवं स्थायी पता.  
Full name, age and permanent address of proprietor/proprietress partners or directors as the case may be.
4. (क) यथास्थिति प्रसंस्करण यूनिट का स्थान या प्रसंस्करण यूनिट के प्रस्तावित स्थान का पूरा पता.  
(a) Address in full of the location of the processing unit or the proposed location of the processing unit, as the case may be.  
(ख) प्रसंस्करण यूनिट के स्थान के संबंध में स्वामित्व का विवरण.  
(b) Details of ownership regarding the site of the processing unit.
5. भंडार के स्थान का पूरा पता, है तो.  
Address in full of the place of storage, if any.
6. (क) क्या आप रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) के अधीन एक अनुज्ञापत्रित व्यापारी या विनिर्माता रहे हैं ?  
(a) Have you been a licensed dealer or manufacturer under the Rubber Act, 1947 (24 of 1947)?  
(ख) हाँ तो, आपकी पंजीकरण संख्या लिखिए.  
(b) If so, please quote your Registration No.
7. रबड़ प्रसंस्करण के अलावा अन्य कोई कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं?  
Are you doing or proposing to do any business other than processing rubber?
8. निवेशित पूँजी या वित्तीय स्थिति.  
Invested capital or financial standing.

9. प्रसंस्करण यूनिट (प्रतिदिन क्षमता x दिनों की संख्या के आधार पर) की प्रस्तावित क्षमता या संस्थापित क्षमता क्या हैं ?

What is the proposed capacity or installed capacity of the processing unit? (capacity per day x number of days basis)

10. कच्चे मालों की पूर्ति का स्रोत क्या है ?

What is the source of supply of raw materials?

11. क्या आप संसाधन को मशीनरी की आयात या देशज जैसे का निर्माण कर रहे हैं?

State whether you are proposing to import the machinery or fabricate the same indigenously.

12. आवश्यक तकनीकी जानकारी के लिए आप ने क्या प्रबंध किया है?

What arrangements have you made for the necessary technical know how?

13. भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के अनुसार तकनीकी विनिर्देशन के लिए आप ने क्या प्रबंध किया है?

What arrangements have you made for technical specification as per the standards of the Bureau of Indian Standards?

14. पिछले पाँच वर्षों में आप द्वारा अर्जित, प्रसंस्कृत एवं बिक्रीत रबड़ के कुल परिमाण क्या था?

What was the total quantity of rubber acquired, processed and sold by you during the previous five years?

वर्ष Year	अर्जित रबड़ Rubber acquired कि ग्रा Kgs.	प्रसंस्कृत रबड़ Rubber processed कि ग्रा Kgs.	बिक्रीत रबड़ Rubber sold कि ग्रा Kgs.
--------------	--	---	---

(अगर यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो सन्निकट आंकड़े दिये जाएं)

(If accurate figures are not available approximate figures may be given)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

I declare that the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

स्थान Place:

तारीख Date:

आवेदक का हस्ताक्षर

Signature of Applicant

(अप्रयोज्य मदों को काट दीजिए। Strike off inapplicable items)

## घोषणा DECLARATION

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं ने/ हमने प्रपत्र एच 3 तथा एल 1 में सचिव, रबड़ बोर्ड, कोट्टयम-2 को ..... महीने तक की मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत की हैं। ..... महीने तक की लंबित विवरणियाँ इसके साथ संलग्न हैं। (नवीनीकरण आवेदन प्रपत्र की प्रस्तुति के पूर्व के महीने तक की लंबित विवरणियाँ अगर हो तो संलग्न करें)

I/We do hereby declare that I/We have submitted monthly returns in forms H3 & L1 to the Secretary, Rubber Board, Kottayam – 2 upto the month of..... The pending returns for the month upto .....are attached herewith. (Attach the returns pending, if any, till to the preceding month of submission of renewal application form.)

स्थान Place:

दिनांक Date:

व्यवस्थापक/भागीदार/निदेशक का हस्ताक्षर  
Signature of the Prop./Partner/Director

मोबाइल नं. Mob.No.:.....